अपने गन्तव्य स्थान पहुंची। तिनसुखिया मेल दिल्ली स्टेशन पर चौदह घंटे 20 मिनट लेट पहुंची। उस में संसद सदस्य श्री हरिनाथ मिश्र जी के साथ मैं भी यात्रा कर रहा था। हम दोनों ने समझा था कि डिलक्स के बजाय तिनसुकिया मेल से चलने से विलम्ब होने पर भी हम लोग लोक सभा की बैठक शुरू होने तक पहुंच जायेंगे क्योंकि उसका नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने का हमय 5.20 बजे सवेरे है। मुझे भागलपुर जेल के विचाराधीन बंदियों की आंख फोड़ने सम्बन्धी घटना पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई बहस में हिस्सा लेना था। वह गाड़ी सबेरे के बजाय साढ़े सात बजे रात्रि में दिल्ली पहुंची।

यह स्थिति बड़ी ही निन्दनीय है। इस लोक महत्व के प्रश्न पर लोकसभा में विचार होना आवश्यक है। इसके लिए कोई उपाय होना चाहिए।

(vii) RE. JOB AND OTHER RESERVATIONS FOR BACKWARD CLASSES

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : भारत में 60 प्रतिशत से अधिक पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके उद्योगधंधे जो इस देश की रीढ़ हैं, वे अधिक महत्व न दिये जाने के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। यहां के धीवर, झीवर, निषाद, मल्लाह, केवट, भोई, कीर, रायकवार, अहीर, काछी, मोराओ गढ़रिया, कुर्मी, कुम्हार, नाई, तेली, बढ़ई, लोहार, लोधी, किसान आदि सदैव से अपने परम्परागत धंधों में लगे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक शोषण के कारण देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही पिछड़े हैं। भारतीय संविधान में इनको विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 के अनुसार शिक्षा, धंधों व सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था है कि जिन पिछड़े वर्गों के लोग सरकारी नौकरियों में सही प्रतिनिधित्व न पायें हों, उनको केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में आरक्षण दिया जायेगा। इस तरह की रिपोर्ट काका कालेलकर कमीशन जो पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है वह कई साल पहले दे चुका है। परन्तु अभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण केन्द्र की सरकार ने नहीं दिया है जिससे इन लोगों को सरकारी नौकरियों में जाकर देश की सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुपात से आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए और सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई नोटिफिकेशन जारी करे।

12.25 hrs.

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move†:

> "That the Bill to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, be taken into consideration."

The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, was enacted mainly to provide for speedy and summary eviction of unauthorised occupants from public premises. During the course of its operation, certain difficulties were experienced which were sought to be removed by an amendment Bill introduced in the Rajya Sabha on 24-8-1976. Simultaneously, a review was undertaken by the Government in respect of the working of various provisions of the Act. As a result of this review, a few more amendments, not covered by the amendment Bill, were consi-

---

†Moved with the recommendation of the President.